न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
97/2025 प्रा.पत्र/2025
जीसीएमएस नं0 218/2025

तारीख दायरा
18.11.2025

तारीख निर्णय
02.01.2026

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी निवासी डी–1 इन्द्रा कॉलोनी श्याम मन्दिर के पीछे निवाई जिला टोंक मैसर्स सोनू ट्रेडर्स सिन्धी कॉलोनी सोनू जनरल स्टोर के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक। मोबाईल नं0 9261010110

2–मैसर्स सोनू ट्रेडर्स सिन्धी कॉलोनी सोनू जनरल स्टोर के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पिनकोड–304021

3–श्री रामावतार मेठी निवासी 6, पीएलबी स्ट्रीट, तीन दुकान ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्मी मसाला उद्योग 1/453 फार्म हाउस नं0 7, हनुमान वाटिका, लक्ष्मीनारायणपुरा, दिल्ली बायपास जयपुर राज0। मोबाईल नं0 9352702540

4–मैसर्स लक्ष्मी मसाला उद्योग 1/453 फार्म हाउस नं0 7, हनुमान वाटिका, लक्ष्मीनारायणपुरा, दिल्ली बायपास जयपुर राज0। पिनकोड–302013

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 02/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.08.2025 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स सोनू ट्रेडर्स सिन्धी कॉलोनी सोनू जनरल स्टोर के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स सोनू ट्रेडर्स सिन्धी कॉलोनी सोनू जनरल स्टोर के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी को अपना परिचय दिया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसालों के साथ–साथ दुकान के गोदाम में प्लास्टिक की थैलियों में लगभग 200 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 200–200 ग्राम पैक **धनिया पावडर (अरावली ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान के गोदाम में प्लास्टिक की थैलियों लगभग 200 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 200–200 ग्राम पैक में से **धनिया पावडर (अरावली ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर डीएच–201 एवं पैकिंग की दिनांक जून–2025 थी, में से 200–200 ग्राम के 12 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (अरावली ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 12 मूल पैक प्रत्येक 200–200 ग्राम पैक को अलग–अलग 3–3 मूल पैक का एक भाग बनाकर(प्रत्येक भाग में 600 ग्राम) को कागज के गत्ते के चार डिब्बों में अलग–अलग प्रत्येक डिब्बे में 3–3 नग रखकर डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4477 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4477 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री दिलीप कुमार सबनानी पुत्र श्री बालचन्द सबनानी मैसर्स सोनू ट्रेडर्स सिन्धी कॉलानी सोनू जनरल स्टोर के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स लक्ष्मी मसाला उद्योग 1/453 फार्म हाउस नं0 7, हनुमान वाटिका, लक्ष्मीनारायणपुरा, दिल्ली बायपास जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/1130 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/3071/एक्ट/2025/3229 दिनांक 18.08.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (अरावली ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक(Substandard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर (अरावली ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (अरावली ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर उचित शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/11/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोकरिया)
न्यायिक सहायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज